बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /2015/425 दिनांक : 1·4·15

समीक्षा बैठक कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध), अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत एक बैठक का आयोजन दिनांक 16.2.15 को किया गया जिसमें निम्न सदस्य/ पदाधिकारी संम्मिलित हुये :–

1. डॉ. एस.एस. अग्रवाल – अध्यक्ष IMA (Indian Medical Association)
2. डॉ. एम.पी गोयल – अध्यक्ष (Indian Radiolagy &Imaging Association)
3. डॉ. धीरज गुप्ता -- अध्यक्ष (Indian Radiolagy &Imaging Association)
4. डॉ. महेश गोयल -- अध्यक्ष (Indian Radiolagy &Imaging Association)

बैठक में उक्त पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के सन्दर्भ में बिन्दुवार चर्चा करके निम्न निर्णय लिये गये :–

1. अब तक माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के अनुसार ही किया जा सकेगा।
2. जिन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण किया जाना है उनके ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण कार्यवाही किये जाने की प्रकिया प्रारम्भ की जावे।
3. निरीक्षण दलों द्वारा सील कर संचालकों को सुपुर्द की गई सोनोग्राफी मशीनों का निस्तारण भारत सरकार से प्राप्त निर्देशन के अनुसार किया जाये।
4. Active Tracker/Silent Observer की Amc व इनसे संबंधित अन्य समस्या हेतु उनके संचालकों के साथ एक बैठक शीघ्र आयोजित की जाये।
5. गर्भवती महिला की सोनोग्राफी के समय भरें जाने वाले फार्म ''एफ'' की ऑनलाईन रिर्पोटिंग में गर्भवती महिला के हस्ताक्षर करवाकर "Uploadation" की संभावना की कोशिश कर "Manual" Form "F" जमा करवाने की अनिवार्यता बन्द करने हेतु भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने की प्रकिया प्रारम्भ की जावे।
6. अधिनियम का गम्भीर उल्लंघन पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. बीकानेर जिला कलक्टर द्वारा प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र के मुख्य गेट पर CCTV कैमरे लगाने के आदेश की पुनः समीक्षा की जाय।
8. जयपुर जिले में जब भी निरीक्षण दल निरीक्षण करेंगे तो वो प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार से निरीक्षण से पूर्व निरीक्षण बाबत पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।
9. जयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में जब भी निरीक्षण दल निरीक्षण करेंगे तो वो संबधित जिले के जिला कलक्टर से निरीक्षण बाबत पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।
10. राज्य निरीक्षण दलों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की रिपोर्ट तीन दिवस के अन्दर--अन्दर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावे तथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए आरोपियों को यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र नोटिस दिये जावें एवं यदि अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नही पाया जावे तो यथाशीघ्र क्लोजर दी जावे।
11. राज्य निरीक्षण दलों द्वारा किये गये निरीक्षणों से संबंधित प्रकरणों का यथा सम्भव निस्तारण अप्रेल--2015 तक किया जावे।

बैठक की कार्यवाही विवरण भेजकर संबंधित को आदेशित किया जाता है कि बैठक में लिये गये निर्णयो की पालना सुनिश्चित करे।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।

3. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर ।
4. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
5. श्री बृज किशोर गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
6. निजी सहायक, निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर राजस्थान।
8. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी) एवं प्रभारी राज्य निरीक्षण दल संख्या 2, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. अपराध सहायक एवं प्रभारी अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर ।
13. समस्त जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान ।
14. सेन्ट्रल सर्वर रूम।
15. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष
राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ट शासन सचिव (प.क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान जयपुर